फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

फूली बाई बनाम मोड़ रफीक वगैरा

किस्म मुकदमा 88, 89, 188 RT Act नं. 26/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5-3-18 वकील वादीया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RT Act विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। वाद पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 12-4-18 को पेश हो।	
12/4/18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी सं 1 व 3 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत शा.फा. किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8-5-18 को पेश हो। विपक्षी सं 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।	
	30.05.2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम कुण्डियाकंला में पेश हुई। उभयपक्ष पक्षकारान नियत शिविर में उपस्थित। विचारण वादपत्र का अवलोकन किया गया। वादीया ने यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा, दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। वादीया विवादित आराजीयात में से अपनी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रयशुदा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व अहका हुक्म की ता में जारी हुए

सहखातेदार करवाने व उसी अनुसार नक्शे में तरमीम कराये जाने आशय/अनुतोष चाहने नियत से यह वादपत्र प्रस्तुत किया है। उभयपक्षो को सुना गया। शिविर में मौजूद राज्य पक्ष की और तहसीलदार बनेडा मार्फत हल्का पटवारी ने यह अवगत कराया कि वादीया द्वारा इस वादपत्र के माध्यम से चाही गयी दाद का पहले से ही राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जा चुका है। इसके प्रमाण में प्राप्त रिपोर्ट मय जमाबन्दी को रिकार्ड पर लिया गया।

ऐसी स्थिती में इस पत्रावली में अब आगे कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। जिससे प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई ओचित्य प्रतीत नही होता है। उपरोक्त स्थिति से उभयपक्ष भी सहमत है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीया द्वारा अपने वादपत्र के जरिये चाही गयी दाद पहले से हासिल हो चुकि होने से, प्रकरण स्वतः ड्रोप हो जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।